राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(2)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 20/01/2023

**गवर्नमेंट कौन्सिल/ एडिशनल गवर्नमेंट कौन्सिल/
डिप्टी गवर्नमेंट कौन्सिल/एसिस्टेंट गवर्नमेंट कौन्सिल
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बंच।**

::परिपत्र::

विषयः– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर बैंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से दीवानी प्रकरणों में उपस्थिति प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पुराने दीवानी प्रकरणों में समुचित पैरवी हेतु कोई प्रतिनिधि अथवा कौन्सिल्स नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे राज्य सरकार के हितों की समुचित रूप से प्रतिरक्षण की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो पा रही है तथा इस पर माननीय न्यायालय द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुये भविष्य में राज्य सरकार की ओर से प्रकरणों में पैरवी हेतु प्रतिनिधि कौन्सिल्स/सहायक की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः समस्त गवर्नमेंट कौन्सिल्स/एडिशनल गवर्नमेंट कौन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट कौन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु लिस्टेड़ होने वाले सभी प्रकरणों (नवीन व पुराने) में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित होकर राज्य सरकार के हितों का प्रतिरक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।

**(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि**